

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/बी-1/2/अ-4/24/703

भोपाल दिनांक 03/11/06

आदेश

म० प्र० कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संचालक मंडल बोर्ड की 103 वीं बैठक दिनांक 07.10.06 के अतिरिक्त प्रस्ताव कमांक-08 में पारित निर्णय के अनुपालन में कार्यालयीन परिपत्र कमांक-मंडी/ 6/अ/स्था./सेटअप/89/186-89 दिनांक 01.02.89 को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए नवीन वर्गीकरण 2006 के अनुसार कृषि मंडी समिति सेवा के अमला निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

नवीन वर्गीकरण, 2006 के अनुसार मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों की पद संख्या निम्नानुसार रहेगी :-

क.	मंडी की श्रेणी	अधीक्षक	मुख्य लिपिक / सहा. ग्रेड-1	सहायक लेखापाल (सहा. ग्रेड-2)	सहायक ग्रेड-3	इलेक्ट्री-शियन कर्म पंप अटेंडर	वाहन चालक	मृत्यु/ पीडीदार / मेहतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क	01	02	03	03	01	02	17
2	ख	01	01	02	07	01	01	12
3	ग	-	-	-	05	-	-	08
4	घ	-	-	-	02	-	-	02

01. अधीक्षक का वेतनमान 5500-175-9000 रहेगा। मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड-1 के पद पर 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होंगे।

02. मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों को उपविधि में प्रभावशील सेवा शर्तों को शून्य करते हुए राज्य मंडी बोर्ड सेवा के कर्मचारियों के अनुरूप ही सेवा शर्तें एवं वेतन भत्ते लागू होंगे।

यह संशोधन आदेश बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 07.10.06 से प्रभावशील होगा।

(एम० ए० खान)

प्रबंध संचालक

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

2

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय कृषि मंत्री सह अध्यक्ष, मंडी बोर्ड भोपाल।
2. निज सहायक प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल।
3. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/मुख्यलेखाधिकारी/मुख्यअभियंता/अधीक्षक यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल।
5. उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्य एवं आंचलिक कार्यालय भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/सागर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा।
6. अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मंडी समिति (समस्त).....
7. लेखाधिकारी/सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
8. सूचना पटल/आदेश नस्ती/बोर्ड बैठक शाखा।  
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रबंध संचालक  
40 प्र० राज्य कृषि विज्ञान बोर्ड 2/11/08  
भोपाल